

पत्र संख्या-आई0टी0/ एन0आई0सी0 कम्प्यूटर साफ्टवेयर/(2016-2017)/ 284/1617020/ वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0-अनुभाग)

दिनांक // लखनऊ // जुलाई, 08 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक/कारपोरेट सेल)
समस्त कर-निर्धारण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के पूर्व पत्रांक : आई0टी0/एन0आई0सी0 कम्प्यूटर साफ्टवेयर/(2014-2015)/754/1415107/ दिनांक 30.12.2014 एवं पत्रांक : आई0टी0/एन0आई0सी0 कम्प्यूटर साफ्टवेयर/(2014-2015)/817/ दिनांक 22.01.2015 तथा पत्रांक:(शोध/जी0एस0टी0)/पैन अपडेशन/2015-16/166 वाणिज्य कर दिनांक 21.08.2015 का संदर्भ लें जिनके द्वारा प्रस्तावित जी0एस0टी0 व्यवस्था हेतु विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के पैन अपडेशन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये थे। इसी क्रम में मुख्यालय के पत्रांक:(शोध/जी0एस0टी0)/पैन अपडेशन/2015-16/273 दिनांक 21.11.2015 द्वारा निर्देशित किया गया था कि पंजीकृत व्यापारियों के पैन वेलीडेशन का कार्य अन्तिम रूप से 30.11.2015 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करा लिया जाये तथा इस हेतु व्यापारियों से सही पैन विवरण प्राप्त कर इसे NSDL की साइट पर भी इसी अन्तिम तिथि तक अपलोड कर दिया जाये।

2- परन्तु कदाचित इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा गम्भीरता पूर्वक कार्यवाहियाँ नहीं की गयी हैं। जबकि प्रस्तावित GST प्रणाली के अन्तर्गत पंजीयन हेतु व्यापारी का सही PAN अभिलेखों में अंकित होना अति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में NIC द्वारा अवगत कराया गया है कि PAN Verification प्रक्रिया में 101227 PAN Structurally Invalid पाए गए हैं। विभाग द्वारा व्यापारियों के डेटा को GSTN पर migrate करने से पूर्व विभागीय डेटाबेस में अंकित PAN का तीन स्तरों पर सत्यापन आवश्यक है :-

1- पैन का Structurally valid होना।

2- फर्म के constitution तथा डेटाबेस में उपलब्ध पैन के constitution का समान होना।


3- NSDL तथा वाणिज्य कर विभाग के Business name का समान होना।

3- विभाग द्वारा NSDL के माध्यम से आनलाइन सत्यापन कराये गये पैन डेटाबेस में 101227 पैन Structurally Invalid पाये गये हैं तथा शेष Structurally valid पैन की जाँच Business name तथा फर्म के constitution के बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

4- व्यापारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये पैन की eyeball checking हेतु कर निर्धारण अधिकारियों के login पर ऐसे सभी व्यापारियों की सूची उपलब्ध करा दी गयी है जिनके पैन Structurally valid है। पैन की जाँच की प्रक्रिया निम्नवत है :-

1- कर निर्धारण अधिकारी द्वारा login करके Registration link पर उपलब्ध "eyeball checking as per NSDL PAN data" पर click किया जायेगा। Link पर click करने पर कर निर्धारण अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित व्यापारियों का विभागीय डेटाबेस में रजिस्टर्ड डेटा तथा NSDL के डेटाबेस पर रजिस्टर्ड डेटा स्क्रीन पर उपलब्ध हो जायेगा।

- 2- कर निर्धारण अधिकारी को कार्यवाही करने हेतु Action column के अन्तर्गत "select for action" Link पर click करना होगा। तत्पश्चात स्क्रीन पर action type तथा Remark का विकल्प उपलब्ध होगा। NSDL के पैन डेटा तथा वाणिज्य कर विभाग के पैन डेटा के समान होने की स्थिति में action type में drop down से correct का विकल्प चयनित किया जायेगा। यदि NSDL तथा विभागीय डेटा सत्यापित नहीं होता है तो action type में Drop down में incorrect का चयन किया जायेगा।
- 3- Incorrect का चयन करने पर स्क्रीन पर डेटा के incorrect होने से सम्बन्धित 8 reasons स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे जिसमें से सम्बन्धित कारणों का चयन किया जा सकेगा। कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा अपनी टिप्पणी Remark की फील्ड में अंकित करने के पश्चात Save के बटन पर click करने पर select record updated का मैसेज प्रदर्शित होगा।
- 4- पैन सत्यापन से सम्बन्धित उक्त कार्यवाही की रिपोर्ट स्क्रीन पर उपलब्ध "Report on ball checking of NSDL PAN data" के Link पर उपलब्ध होगी।
- 5- Structurally Invalid PAN के सम्बन्ध में सभी कार्यालय लोकल समाचार पत्रों में PAN Update कराने के सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें तथा सभी कार्यालयों में इस आशय के पोस्टर्स भी चिपकाएँ जाए। यदि 31.08.2016 के उपरान्त भी डीलर्स द्वारा अपना PAN Update नहीं कराया जाता है तो सम्यक सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए टिन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए।
उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।


(मुकेश कुमार मिश्रा)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।